



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072021-228152  
CG-DL-E-07072021-228152

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 382]  
No. 382]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 2021/आषाढ 16, 1943  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 2021/ASHADHA 16, 1943

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2021

आय-कर

सा.का.नि. 472(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 50 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2021 है।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 8कख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

“8कग. धारा 50 के अधीन अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ और अवलिखित मूल्य की संगणना, जहां गुडविल पर अवक्षयण अभिप्रास किया गया है।

- (1) धारा 50 के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष हेतु आस्ति समूह और अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ, यदि कोई हो, का अवलिखित मूल्य इन नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।
- (2) जहां कारबार या वृत्ति की गुडविल "अमूर्त" आस्ति समूह में से केवल आस्ति थी या आस्तियों में से एक थी, जिसके लिए अवक्षयण 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष में निर्धारिती द्वारा अभिप्राप्त किया गया था, 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष हेतु इस आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य धारा 43 के खंड (6) के उपखंड (ग) के मद (ii) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।
- (3) जहां 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष हेतु धारा 43 के खंड (6) के उपखंड (ग) के मद (ii) के उपमद (आ) के अधीन कमी, निम्नलिखित रकम के योग से अधिक होती है, अर्थात् :-
  - (i) धारा 43 के खंड (6) के उपखंड (ग) के मद (ii) के उपमद (आ) के अधीन कमी को प्रभावी किए बिना 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ पर आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य ; और
  - (ii) 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित गुडविल से भिन्न "अमूर्त" आस्ति समूह के भीतर आने वाली किसी आस्ति की वास्तविक लागत, के ऐसे आधिक्य को अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ समझा जाएगा।
- (4) उपनियम (3) और धारा 55 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कारबार या वृत्ति की गुडविल "अमूर्त" आस्ति समूह की एकमात्र आस्ति थी, जिसके लिए अवक्षयण 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष में निर्धारिती द्वारा अभिप्राप्त किया गया था और उस ब्लाक में 1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान कोई अतिरिक्त आस्ति अर्जित न होने के कारण आस्ति समूह अस्तित्वहीन हो जाता है, वहां आस्ति समूह के अस्तित्वहीन होने के कारण कोई पूंजी अभिलाभ या हानि नहीं होगी।
- (5) निर्धारण वर्ष 2021-22 या पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए सुसंगत पूर्ववर्षों के दौरान गुडविल के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ या हानि धारा 48, धारा 49 और धारा 55 की उपधारा (2) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 77/2021/फा. सं. 370142/23/2021-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

**टिप्पण**—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 470 (आ.), तारीख 02 जुलाई, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

**MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th July, 2021

**INCOME-TAX**

**G.S.R. 472(E).**— In exercise of the powers conferred by proviso to section 50 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

**1. Short title:** - These rules may be called the Income tax Amendment (19<sup>th</sup> Amendment), Rules, 2021.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 8AB, the following rules shall be inserted, namely:—

**“8AC. Computation of short term capital gains and written down value under section 50 where depreciation on goodwill has been obtained.**

- (1) For the purposes of proviso to section 50, the written down value of the block of the asset and short term capital gains, if any, for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1<sup>st</sup> day of April, 2021 shall be determined in accordance with this rule.
- (2) Where the goodwill of the business or profession was the only asset or one of the assets in the block of asset “intangible” for which depreciation was obtained by the assessee in the assessment year beginning on the 1<sup>st</sup> day of April, 2020, the written down value of this block of asset for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1<sup>st</sup> day of April, 2021 shall be determined in accordance with the provisions of item (ii) of sub-clause (c) of clause (6) of section 43.
- (3) Where the reduction under sub-item (B) of item (ii) of sub-clause (c) of clause (6) of section 43, for the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1<sup>st</sup> day of April, 2021, exceeds the aggregate of the following amounts, namely:-
  - (i) the written down value of the block of assets at the beginning of the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1<sup>st</sup> day of April, 2021 without giving effect to reduction under sub-item (B) of item (ii) of sub-clause (c) of clause (6) of section 43; and
  - (ii) the actual cost of any asset falling within the block of assets “intangible”, other than goodwill, acquired during the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1<sup>st</sup> day of April, 2021,
 such excess shall be deemed to be the capital gains arising from the transfer of short-term capital assets.
- (4) Without prejudice to the provisions of sub-rule (3) and section 55, where the goodwill of the business or profession was the only asset in the block of asset “intangible” for which depreciation was obtained by the assessee in the assessment year beginning on the 1<sup>st</sup> day of April, 2020, and the block of asset ceases to exist on account of there being no further asset acquired during the previous year relevant to the assessment year commencing on the 1<sup>st</sup> day of April, 2021 in that block, there will not be any capital gains or loss on account of the block of asset having ceased to exist.
- (5) The capital gains or loss on transfer of goodwill, during the previous years relevant to the assessment year 2021-22 or subsequent assessment years, shall be determined in accordance with the provisions of section 48, section 49 and clause (a) of sub-section (2) of section 55.”

[Notification No. 77/2021/ F. No. 370142/23/2021-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

**Note.**—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 969 (E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 470 (E) dated the 2<sup>nd</sup> July, 2021.